सत्यमेव जयते

भारत सरकार

भारत का विधि आयोग

सिविल प्रक्रिया संहिता, 1908 के आदेश VII के नियम 14(4) को शीघ्र संशोधित करने की आवश्यकता

रिपोर्ट सं. 278

मार्च, 2023

22वें विधि आयोग का गठन भारत सरकार के विधि और न्याय मंत्रालय के विधि कार्य विभाग, नई दिल्ली द्वारा जारी आदेश संख्या एफ. सं. 45021/1/2018-प्रशा.-III (एल.ए.) तारीख 21 फरवरी, 2020 द्वारा गजट अधिसूचना द्वारा तीन वर्ष की अवधि के लिए किया गया । 22वें विधि आयोग की अवधि का विस्तार आदेश सं. एफ.ए..ए. सं. 60011/225/2022-प्रशा.-III(एल.ए.) तारीख 22 फरवरी, 2023 द्वारा किया गया। विधि आयोग अध्यक्ष, तीन पूर्णकालिक सदस्य, सदस्य सचिव, दो पदेने सदस्य और दो अंशकालिक सदस्य से मिलकर बना है।

अध्यक्ष

माननीय न्यायमूर्ति ऋतु राज अवस्थी

पूर्णकालिक सदस्य

माननीय न्यायमूर्ति के. टी. शंकरन
प्रो.(डा.) आनंद पालीवाल
प्रो. डी. पी. वर्मा

पदेन सदस्य

डा. नितेन चंद्रा, विधि सचिव
डा. रीटा वशिष्ठ, विधायी सचिव

अंशकालिक सदस्य

श्री एम. करुनानिधि
प्रो. (डा.) राका आर्या

सदस्य सचिव

डा. नितेन चंद्रा

विधि अधिकारी

श्रीमती वर्षा चंद्रा, संयुक्त सचिव एवं विधि अधिकारी
श्री अतुल कुमार गुप्ता, उप विधि अधिकारी

विधि परामर्शी

श्री ऋषि मिश्रा
श्री गौरव यादव
श्री शुभांग चतुर्वेदी
श्री दविन्दर सिंह

विधि आयोग, द्वितीय और चतुर्थ तल,
बी-विंग, लोकनायक भवन, खान मार्केट, नई दिल्ली-110003 पर स्थित है।
यह रिपोर्ट www.lawcommissionofindia.nic.in की वेबसाइट पर उपलब्ध है।
© भारत सरकार, भारत का विधि आयोग

Justice Ritu Raj Awasthi
(Former Chief Justice of High Court of Karnataka)
Chairperson
22nd Law Commission of India

न्यायमूर्ति ऋतु राज अवस्थी
(सेवानिवृत्त मुख्य न्यायाधीश, कर्नाटक उच्च न्यायालय)
अध्यक्ष
भारत के 22वें विधि आयोग

आज़ादी का अमृत महोत्सव

अ.शा.प. सं. 6(3)334/2023-एल.सी.(एल.एस.)　　　　　　　　　　　　　　　　तारीख : 28 मार्च, 2023

माननीय श्री किरन रिजीजु जी,

नमस्कार।

मुझे **सिविल प्रक्रिया संहिता, 1908 के आदेश VII के नियम 14(4) को शीघ्र संशोधित करने की आवश्यिता"** पर भारत के विधि आयोग की रिपोर्ट सं. 278 को अग्रेषित करते हुए हर्ष हो रहा है ।

संसद ने वर्ष 1999 और 2002 के संशोधन अधिनियमों द्वारा सिविल प्रक्रिया संहिता के काफी भाग को संशोधित किया था । सलेम एडवोकेट बार एशोसिएशन ने इस प्रकार पुर:स्थापित किए गए संशोधनों की संवैधानिक विधिमान्यता को चुनौती दी । इसे **सलेम एडवोकेट बार एशोसिएशन, तमिलनाडु** बनाम **भारत सरकार** [(2003) 1 एस.सी.सी. 49] वाले मामले में माननीय उच्चतम न्यायालय द्वारा खारिज कर दिया गया। तथापि, माननीय उच्चतम न्यायालय ने उक्त संशोधन द्वारा पुर:स्थापित की गई धारा 89 और अन्य उपबंधों को ऐसी रीति जिसमें उनका परिचालन किया जाए, हेतु तरीके तय करने के लिए भारत के विधि आयोग के तत्कालीन अध्यक्ष न्यायमूर्ति एम. जगन्नाथ राव की अध्यक्षता में एक समिति गठित की।

सलेम एडवोकेट बार एशोसिएशन, तमिलनाडु बनाम **भारत संघ** [(2003)6 एस.सी.सी. 344] वाले मामले में समिति द्वारा दिए गए सुझावों का पुनर्विलोकन करते समय, माननीय उच्चतम न्यायालय ने यह मत व्यक्त किया कि सिविल प्रक्रिया संहिता के आदेश VII के नियम 14(4) में विसंगति है और इसे शीघ्र ठीक किए जाने की आवश्यकता है।

संसद द्वारा कोई सुधारात्मक उपाय न किए जाने के अभाव में, माननीय उच्चतम न्यायालय द्वारा जारी निदेश अभिभावी है, अत:, 22वें विधि आयोग की यह सुविचारित राय है कि न्यायालय, अधिवक्ता, वादकारी और आम जनता की सुविधा के लिए शीघ्र ही विधायी संशोधन द्वारा विसंगति दूर की जाए। अत:, भारत के विधि आयोग ने स्व-प्रेरणा से विचारार्थ विषय का चयन किया और यह रिपोर्ट तैयार किया जो आपके समक्ष परिशीलनार्थ प्रस्तुत की जा रही है।

सादर,

भवदीय,
ह0/-
(न्यायमूर्ति ऋतु राज अवस्थी)

श्री किरन रिजीजु
माननीय विधि और न्याय मंत्री
भारत सरकार,
शास्त्री भवन,
नई दिल्ली-110001

कार्यालय पता : कमरा नं. 405, चतुर्थ तल, 'बी' विंग, लोक नायक भवन, खान मार्किट, नई दिल्ली - 110003
Office Address : Room No. 405, 4th Floor, 'B' Wing, Lok Nayak Bhawan, Khan Market, New Delhi - 110003
अवासीय पता : बंगला नं. 8, तीस जनवरी मार्ग, नई दिल्ली -110011
Residence : Bungalow No. 8, Tees January Marg, New Delhi- 110011
Email : rituraj.awasthi@gov.in Tel : 011-24654951 (D), 24340202, 24340203

<u>अभिस्वीकृति</u>

आयोग श्री **ऋषि मिश्रा, श्री गौरव यादव, श्री शुभांग चतुर्वेदी और श्री दविन्दर सिंह**, परामर्शी द्वारा इस रिपोर्ट को तैयार करने में दी गई प्रशंसनीय सहायता के प्रति कृतज्ञ है। हम अभिलेख पर उनके मूल्यवान योगदान के प्रति अति आभार व्यक्त करते हैं।

रिपोर्ट सं. 278

<u>सिविल प्रक्रिया संहिता, 1908 के आदेश VII के नियम 14(4) को शीघ्र संशोधित करने की आवश्यकता</u>

<u>विषय सूची</u>

क्र. सं.	शीर्षक	पृष्ठ सं.
1.	प्रस्तावना	6
2.	आदेश VII के नियम 14(4) के उपनियम (4) का विधायी इतिहास	7
3.	सुसंगत विधिक उपबंध	10
4.	1999 और 2002 के संशोधन अधिनियमों पर उच्चतम न्यायालय विनिश्चय	14
5.	निष्कर्ष	16
6.	अनुशंसा	17

सिविल प्रक्रिया संहिता, 1908 के आदेश VII के नियम 14(4) को शीघ्र संशोधित करने की आवश्यकता

1. प्रस्तावना

1.1 सिविल प्रक्रिया संहिता, 1908 (इसके पश्चात् 'सि.प्र.सं.' कहा गया है) ऐसी संहिता है, जो सभी सिविल विवादों में न्यायालय की पद्धति और प्रक्रिया को शासित करती है। वर्षों से, सिविल प्रक्रिया संहिता भारत में सिविल विवादों के नियम मार्गदर्शी प्रकाशस्तंभ के रूप में कार्य किया है। हमेशा यह सुनिश्चित करने की ओर ध्यान रहा है कि पक्षकारों की आर्थिक और सामाजिक हैसियत पर ध्यान दिए बिना सभी विवादों को समयबद्ध, उचित और साम्यापूर्ण तरीके से निपटाया जाए।

1.2 1859 में प्रथम सिविल प्रक्रिया संहिता के आरंभ से ही, समय-समय पर संशोधन किए गए। चार प्रारुप विधेयकों के समामेलन से बनी पहली संहिता को इसके पारित किए जाने के ठीक पश्चात् संशोधित किया गया। वर्ष 1863-64 तक यह सोचा गया कि 1859 को फिर से बनाने की आवश्यकता है और इस प्रकार पूरी 1859 संहिता को क्रमबद्ध तरीके से पुनर्व्यवथित किया गया।[1] सिविल प्रक्रिया संहिता के 1877 के सृजन में कतिपय उपबंध भी जोड़े गए। स्वयं 1879 तक, 1877 की संहिता की कुल 130 धाराओं को संशोधित किया गया और 1882 तक पूरी नई संहिता अस्तित्व में आयी।[2] जबकि सामान्य सिद्धांत जिस पर 1882 संहिता लागू थी को व्यापकत: ठोस और प्रभावी माना गया। कतिपय उपबंधों को बहुत कठोर माना गया। चूंकि संहिता के कतिपय उपबंधों के निर्वचन के संबंध में विरोधी न्यायिक राय उभर आए, इसलिए संहिता को पुन: बनाना आवश्यक समझा गया। परिणामत:, 1908 संहिता अस्तित्व में आयी।[3] तब से, 'संहिता मुख्य' और 'अनुसूची' दोनों में असंख्य संशोधन किए गए। वर्ष 1999 और 2002 में, विधायिका ने कतिपय अन्य संशोधन पुर:स्थापित किए, जो वर्तमान अपेक्षाओं को ध्यान में रखते हुए संहिता को नवीनतम बनाने के लिए थे।

1.3 इन संशोधन द्वारा यह सुनिश्चित करने का प्रयास किया गया कि सिविल प्रक्रिया संहिता विधिक क्षेत्र का परिवर्तनकारी भू-भाग बना रहे। तथापि, ऐसे दृष्टांत हैं, जहां संशोधनों के परिणामस्वरूप कतिपय विसंगतियां पैदा हो गई । सिविल प्रक्रिया संहिता के बहुआयामी प्रभाव को ध्यान में रखते हुए, इन विसंगतियों को शीघ्र ही सुधारा जाना अपरिहार्य हो गया है।

---

[1] भारत का विधि आयोग, सिविल प्रक्रिया संहिता, 1908 की 27वीं रिपोर्ट (दिसंबर, 1964).

[2] -वही-

[3] -वही-

1.4 22वें विधि आयोग ने स्वप्रेरणा के उस विसंगति को ढूंढ़ निकाला जो सिविल प्रक्रिया संहिता के 1999 और 2002 संशोधन अधिनियमों द्वारा उद्भूत हुई और इसे सुधारना आवश्यक समझा। आयोग ने यह महसूस किया कि सिविल प्रक्रिया संहिता के आदेश VII के नियम 14 के उपनियम (4) को संशोधित करने की अपेक्षा है जैसा माननीय उच्चतम न्यायालय द्वारा **सलेम एडवोकेट बार एशोसिएशन, तमिलनाडु** बनाम **भारत संघ**[4] वाले मामले में इंगित किया गया है।

2. आदेश VII के नियम 14 के उपनियम (4) का विधायी इतिहास

2.1 नियम 14 को दो बार - पहला 1999 में और पुन: 2002 में संशोधित किया गया । 1999 संशोधन के पूर्व, आदेश VII का नियम 14 इस प्रकार था :

> *"**दस्तावेज की प्रस्तुति जिस पर वादी वाद लाता है -** (1) जहां वादी अपने कब्जे या शक्ति में दस्तावेज पर वाद लाता है, वहां वह तब न्यायालय में पेश करेगा जब वादपत्र पेश करेगा और उसी समय दस्तावेज या उसकी प्रति को वादपत्र के साथ फाइल किए जाने के लिए परिदान करेगा।*
>
> *(2) **अन्य दस्तावेजों की सूची** - जहां वह अपने दावे के समर्थन में साक्ष्य के रूप में किसी अन्य दस्तावेज (चाहे उसके कब्जे या शक्ति में है या नहीं) का अवलंब लेता है, वहां वह वादपत्र में जोड़े जाने या उपाबद्ध किए जाने वाली सूची में ऐसे दस्तावेजों को प्रविष्ट करेगा।"*[5]

2.2 विधि आयोग ने 'सिविल प्रक्रिया संहिता (संशोधन) विधेयक, 1997' शीर्षक की अपनी 163वीं रिपोर्ट में नियम 14 में इस प्रकार संशोधन प्रस्तावित किया :

> *"2.15 (i) संशोधन विधेयक के खंड 17, आदेश 7 के नियम 9, जो वादपत्रों को स्वीकार करने संबंधी प्रक्रिया के बारे में है, में परिवर्तन करने का प्रस्ताव करता है। प्रस्ताव आदेश VII में नियम 9 प्रतिस्थापित करने के बारे में है। इसे इस केवियट के अधीन प्रभावी बनाया जा सकता है कि समन वादी द्वारा नहीं अपितु न्यायालय द्वारा तामील कराए जाएंगे जैसाकि यहां आदेश 5 पर ऊपर हुई चर्चा के समय बताया गया है।*
>
> *(ii) खंड 17 के उपखंड (ii) प्रस्तावित आधारों को भी, जिन पर वादपत्र खारिज किया जा सकता है, इस आशय के शर्त के अध्यधीन सम्मिलित किया जा सकता है कि यह स्पष्ट रूप से दर्शाया जाए कि आदेश VII के नियम 11 में प्रत्येक प्रस्तावित उपखंड (ड), (च) और (छ) में उल्लिखित असफलता की पुनरावृत्ति हुई है।*

---

[4] (2005) 6 एस.सीर.सी. 344 ; ए.आई.आर. 2005 एस.सी. 3353.

[5] जे.एम. शेलट, सिविल प्रक्रिया संहिता पर मुल्ला 1054 (एन.एम. त्रिपाठी प्रा. लि., बॉम्बे 14वां संस्करण, 1984) ।

(iii) नियम 14 का प्रस्तावित प्रतिस्थापन सही दिशा में उठाया गया एक कदम है, परंतु सम्मेलन में भाग लेने वाले सदस्यों द्वारा दिया गया एकमात्र यह सुझाव जिससे विधि आयोग सहमत है, यही है कि वादी को वहां मूल दस्तावेज प्रस्तुत करने के लिए बाध्य नहीं किया जाना चाहिए, जहां यह आशंका हो कि न्यायालय के रजिस्ट्री कार्यालय के नियंत्रणाधीन उस दस्तावेज में उलट फेर किया जा सकता है। वादी को उन दस्तावेजों की जिनके बारे में उसे न्यायालय की रजिस्ट्री नियंत्रण में छेड़छाड़ किए जाने की आशंका है, जेरोक्स प्रतियां प्रस्तुत करने की अनुमति होनी चाहिए। परंतु विचारण में अथवा जब न्यायालय द्वारा मांगे जाए तब उनका प्रस्तुत किया जाना उसके लिए बाध्यकारी होगा।

2.15.1 सम्मेलनों में भाग लेने वाले बहुत से सदस्यों ने यह सुझाव दिया कि नियम 14 के उपनियम (3) की शब्दावली इस प्रकार की होनी चाहिए कि विशेष कारण लेखबद्ध करके न्यायालय को उस दस्तावेज अथवा उसकी प्रति प्रस्तुत करने की वादी को अनुमति देने की शक्ति प्राप्त होनी चाहिए, जो वह वादपत्र के साथ प्रस्तुत नहीं कर सका है ।आयोग के अनुसार यह एक अच्छा सुझाव है। तदनुसार नियम 14 के उपनियम (3) की शब्दावली इस प्रकार संशोधित की जाए ताकि न्यायालय, वादी को उस दस्तावेज या उसकी एक प्रति प्रस्तुत करने की अनुमति दे सकें, जो कि उसने वादपत्र के साथ प्रस्तुत नहीं की है।

(iv) संशोधन विधेयक में प्रस्तावित आदेश VIIके नियम 14(2) की दृष्टि से आदेश VII के नियम 15 को हटाने का प्रस्ताव संगत है।

(vi) संशोधन विशेयक के खंड 17 के उपखंड (V) में नियम 18 के उपनियम (1) में "न्यायालय की इजाजत के बिना" शब्दों का लोप करने का प्रस्ताव है । यह प्रस्ताव प्रस्तावित नियम 14 की विरचना से संगत है।

*2.16 **संशोधन विधेयक का खंड 18 -** (i) आदेश 8 में प्रस्थापित/प्रस्तावित नियम 1 में यह उपबंधित है कि प्रतिवादी अपनी प्रतिरक्षा का लिखित कथन पहली सुनवाई के समय या उससे पहले या उतने समय के भीतर जितना न्यायालय अनुज्ञात करे, जो प्रतिवादी को समन तालीम करने की तारीख से 30 दिन से अधिक नहीं होगा, उपस्थित करेगा। इस पहलू पर आदेश 5 पर चर्चा करते समय विचार किया गया है। पहले जो कारण बताए गए हैं, उसके अनुसार लिखित कथन प्रस्तुत करने के लिए निर्धारित अवधि विधि आयोग द्वारा आदेश 5 में प्रस्तावित संशोधनों पर चर्चा करते समय सुझाई गई अवधि के अनुरूप होनी चाहिए।*

(ii) आदेश 8 में नियम 1, आदेश 7 के प्रस्तावित/प्रतिस्थापित नियम 14 की भांति ही अंत:स्थापित करने का विचार किया गया है, इसलिए आदेश 7 के प्रस्तावित नियम 14 के बारे में हमने जो कुछ भी कहा है वही इस प्रस्ताव के लिए भी सभी प्रकार से लागू होता है।

(iii) नियम 8-क को निकालने का प्रस्ताव प्रस्तावित नियम 1-क के अनुरुप ही है और इसलिए इस बात को छोड़कर आपत्तिजनक नहीं है कि प्रतिवादी को ऐसा दस्तावेज जो वह लिखित कथन के साथ प्रस्तुत न कर सका, प्रस्तुत करने की अनुमति देने की न्यायालय की शक्ति को इस शर्त के साथ कि ऐसी शक्ति पृष्ठांकित किए जाने वाले केवल विशिष्ट कारणों से ही उपयोग की जाएगी, अनुरक्षित रखी जानी चाहिए।[6]"

2.3 संसद द्वारा वे सिफारिशें स्वीकार की गई और 1999 के संशोधन अधिनियम द्वारा पुराने नियम 14 के स्थान पर नया नियम रखा गया जिसमें चार उपनियम थे। 1999 के संशोधन अधिनियम ने इस प्रकार पुराने नियम को प्रतिस्थापित किया :

*"14. **उन दस्तावेजों की प्रस्तुति जिन पर वादी वाद लाता है या निर्भर करता है -** (1) जहां वादी किसी दस्तावेज के आधार पर वाद लाता है या अपने दावे के समर्थन में अपने कब्जे या शक्ति में की दस्तावेज पर निर्भर करता है वहां वह उन दस्तावेजों को एक सूची में प्रविष्ट करेगा और उसके द्वारा वादपत्र उपस्थित किए जाने के समय वह उसे न्यायालय में पेश करेगा और उसी समय दस्तावेज और उसकी प्रति को वादपत्र के साथ फाइल किए जाने के लिए परिदत्त करेगा।*

(2) जहां ऐसा कोई दस्तावेज वादी के कब्जे या शक्ति में नहीं है वहां वह जहां तक संभव हो सके यह कथन करेगा कि वह किसके कब्जे में या शक्ति में है।

(3) जहां ऐसा कोई दस्तावेज या उसकी प्रति इस नियम के अधीन वादपत्र में फाइल नहीं किया जाता है, उसे वाद में सुनवाई के समय वादी की ओर से साक्ष्य में प्राप्त होना अनुज्ञात नहीं किया जाएगा।

(4) इन नियम की कोई बात वादी साक्षियों की प्रतिपरीक्षा के लिए पेश या साक्षी को मात्र स्मृति ताजा के लिए दिए गए दस्तावेज को लागू नहीं होगी।[7]"

2.4 तथापि, नियम 14 के उपनियम (3) को संशोधन अधिनियम, 2002 (2002 का 22) द्वारा पुन: संशोधित किया गया और वर्तमान उपनियम (3) द्वारा प्रतिस्थापित किया गया, जो ऐसे दस्तावेज जिसे वादपत्र के साथ फाइल नहीं किया गया है या सूची में उपाबद्ध नहीं है, को न्यायालय में फाइल किया जाना अनुज्ञात करने के लिए न्यायालय की इजाजत लेना आवश्यक बनाता है।

नियम 14 का वर्तमान उपनियम (3) इस प्रकार है :-

*"14. **दस्तावेज की प्रस्तुति जिन पर वादी वाद लाता है या निर्भर करता है** -*

---

[6] भारत का विधि आयोग, सिविल प्रक्रिया संहिता (संशोधन) विधेयक, 1997 पर 163वीं रिपोर्ट (नवंबर, 1998) ।

[7] सिविल प्रक्रिया संहिता (संशोधन) अधिनियम, 1999 (1999 का 46) की धारा 17 http://chjdslsa.gov.in/right_menu/rules_regulationslsa/pdf_files/coc-1999.pdf पर उपलब्ध है (8 फरवरी, 2023 को अंतिम बार देखा)।

(3) जहां ऐसा दस्तावेज जिसे वादी द्वारा वादपत्र पेश करते समय या वादपत्र में जोड़े या उपाबद्ध किए किए जाने वाली सूची में प्रविष्ट करते समय न्यायालय में पेश किया जाना चाहिए, किंतु तदनुसार पेश या प्रविष्ट नहीं किया गया है वहां न्यायालय की इजाजत के बिना वाद की सुनवाई के समय उसकी ओर से साक्ष्य में प्राप्त नहीं किया जाएगा।[8]"

3. सुसंगत विधिक उपबंध

आदेश VII का नियम 14

3.1 सिविल प्रक्रिया संहिता का आदेश 7 'वादपत्र' के बारे में है। आदेश 7 का नियम 14 ऐसे 'ऐसे दस्तावेज की प्रस्तुति जिस पर वादी वाद लाता है या निर्भर करता' के बारे में है।

आदेश 7 नियम 14 को नीचे दोहराया जा रहा है :-

"14. उन दस्तावेजों की प्रस्तुति जिन पर वादी वाद लाता है या निर्भर करता है *- (1) जहां वादी किसी दस्तावेज के आधार पर वाद लाता है या अपने दावे के समर्थन में अपने कब्जे या शक्ति में की दस्तावेज पर निर्भर करता है, वहां उन दस्तावेजों को एक सूची में प्रविष्ट करेगा और उसके द्वारा वादपत्र उपस्थित किए जाने के समय वह उसे न्यायालय में पेश करेगा और उसी समय दस्तावेज और उसकी प्रति को वादपत्र के साथ फाइल किए जाने के लिए परिदत्त करेगा।*

(2) जहां ऐसा कोई दस्तावेज वादी के कब्जे या शक्ति में नहीं है वहां जहां तक संभव हो सके यह कथन करेगा कि वह किसके कब्जे में या शक्ति में है।

(3) ऐसा दस्तावेज जिसे वादी द्वारा न्यायालय में वादपत्र पेश करते समय प्रस्तुत या वादपत्र में जोड़े जाने वाली या उपाबद्ध सूची में प्रविष्ट किया जाना चाहिए किंतु तदनुसार प्रस्तुत या प्रविष्ट नहीं किया जाता है, वहां वादपत्र की सुनवाई के समय न्यायालय की इजाजत के बिना साक्ष्य में प्राप्त नहीं किया जाएगा।

(4) इस नियम की कोई बात वादी के साक्षियों की प्रतिपरीक्षा के लिए या उसकी स्मृति ताजा करने के लिए साक्षी को सौंपे गए दस्तावेज को लागू नहीं होगी।[9]"

---

[8] धारा 8, सिविल प्रक्रिया संहिता (संशोधन) अधिनियम,2002 (2002 का 22) https;//districts.ecourts.gov.in/sites/default/files/THE%20CODE%20OF%20CIVIL%20PROCEDURE%20%28AMENDMENT%29%20ACT%2C%202002.pdf पर उपलब्ध है (10 फरवरी, 2023 को अंतिम बार देखा) ।

[9] सिविल प्रक्रिया संहिता, 1908.

3.2 आदेश VII के नियम 14 के उपनियम (1) में यह उपबंध है कि जहां कोई वादी किसी दस्तावेज के आधार पर वाद लाता है या अपने दावे के समर्थन में अपने कब्जे या शक्ति में की दस्तावेज पर निर्भर करता है वहां वह उस उन दस्तावेजों को एक सूची में प्रविष्ट करेगा और उसके द्‌वारा वादपत्र उपस्थित किए जाने के साथ वह उसे न्यायालय में पेश करेगा और उसी समय दस्तावेज और उसकी प्रति को वादपत्र के साथ फाइल किए जाने के लिए परिदत्त करेगा। नियम 14 के उपनियम (3) में यह उल्लेख है कि जहां ऐसा दस्तावेज जिसे वादी द्‌वारा वादपत्र पेश करते समय या वादपत्र में जोड़े या उपाबद्‌ध की जाने वाली सूची में प्रविष्टि करते समय न्यायालय में पेश किया जाना चाहिए किंतु तदनुसार पेश या प्रविष्ट नहीं किया गया है वहां न्यायालय की इजाजत के बिना वाद की सुनवाई के समय उसकी ओर से साक्ष्य में प्राप्त नहीं किया जाएगा।

3.3 आदेश VII के नियम 14 के उपनियम (1) और (2) सिविल प्रक्रिया संहिता (संशोधन) अधिनियम, 1999 (1999 का 46) द्‌वारा प्रतिस्थापित किए गए जबकि उपनियम (3) और (4) सिविल प्रक्रिया संहिता (संशोधन) अधिनियम, 2002 (2002 का 22) द्‌वारा प्रतिस्थापित किए गए।

3.4 सिविल प्रक्रिया संहिता (संशोधन) अधिनियम, 2002 (2002 का 22) के पहले आदेश VII के नियम 14 में समान उपबंध नहीं थे जैसाकि उपनियम (3) और (4) में है। तथापि, समरूप उपबंध आदेश VII के नियम 18 में उपलब्ध थे जो तत्समय विद्‌यमान थे। नियम 18 को बाद में सिविल प्रक्रिया संहिता (संशोधन) अधिनियम, 2002 (2002 का 22) द्‌वारा निरसित किया गया।

आदेश VII नियम 18

3.5 '**ऐसे दस्तावेज की अस्वीकार्यता जिसे वादपत्र फाइल करते समय पेश नहीं किया गया'** शीर्षक वाले आदेश VII के नियम 18 को सिविल प्रक्रिया संहिता (संशोधन) अधिनियम, 2002 (2002 का 22) द्‌वारा निरसित किया गया, जो इस प्रकार था :-

> *"इस नियम की कोई बात प्रतिवादी के साक्षियों की प्रतिपरीक्षा के लिए पेश या प्रतिवादी द्‌वारा संस्थित किसी मामले के उत्तर में या किसी साक्षी को मात्र उसकी स्मृति ताजा करने के लिए दिए गए दस्तावेजों को लागू नहीं होगी।"*[10]

3.6 सिविल प्रक्रिया संहिता (संशोधन) अधिनियम, 2002 (2002 का 22) द्‌वारा नियम 14 के उपनियम (4) के रूप में ऐसा ही उपबंध ("या प्रतिवादी द्‌वारा संस्थित किसी मामले के उत्तर में" पद को छोड़कर) अंत:स्थापित किया गया। तथापि, 'प्रतिवादी के साक्षियों' पद के स्थान 'वादियों के साक्षियों' पद अंत:स्थापित किया गया।

---

[10] धारा 8, सिविल प्रक्रिया संहिता (संशोधन) अधिनियम, 2002 (2002 का 22) https;//districts.ecourts.gov.in/sites/default/files/THE%20CODE%20OF%20CIVIL%20PROCEDURE%20%28AMENDMENT%29%20ACT%2C%202002.pdf पर उपलब्ध है (9 फरवरी, 2023 को अंतिम बार देखा) ।

आदेश VIII नियम 1क

3.7 आदेश VIII '**लिखित कथन**, **मुजराई** और **प्रतिदावा**' के बारे में।

3.8 आदेश VIII के नियम 1क में '**प्रतिवादी का ऐसे दस्तावेज को प्रस्तुत करने का कर्तव्य जिस पर उसके द्वारा अनुतोष का दावा किया गया है या निर्भर किया गया है'।** नियम 1क के उपनियम (1) में यह उपबंध है कि जहां प्रतिवादी अपनी प्रतिरक्षा का आधार किसी ऐसे दस्तावेज को बनाता है या मुजरा या प्रतिदावा के लिए अपनी प्रतिरक्षा या दावे का समर्थन किसी ऐसे दस्तावेज पर निर्भर करता है, जो उसके कब्जे या शक्ति में है, वहां वह ऐसे दसतावेज को सूची में प्रविष्ट करेगा और उसे वह उसके लिखित कथन उपस्थापित किए जाने के समय न्यायालय में पेश करेगा और उसी समय दस्तावेज और उसकी एक प्रति वह लिखित कथन के साथ फाइल किए जाने के लिए परिदत्त करेगा। नियम 1क के उपनियम (3) में यह उल्लेख है कि ऐसा दस्तावेज जिसे इस नियम के अधीन प्रतिवादी द्वारा न्यायालय में प्रस्तुत किया जाना चाहिए किंतु इस प्रकार प्रस्तुत नहीं किया जाता है, न्यायालय की इजाजत के बिना वाद की सुनवाई के समय उसकी ओर से साक्ष्य में ग्रहण नहीं किया जाएगा।

नियम 1क का उपनियम (4) इस प्रकार है :-

"(4) इस नियम की कोई बात ऐसे दस्तावेजों पर लागू नहीं होगी -

(क) वादी के साक्षियों की प्रतिपरीक्षा के लिए पेश किए जाएं ; या

(ख) साक्षी को केवल अपनी स्मृति ताजा करने के लिए सौंपे जाएं।"[11]

3.9 आदेश VIII के नियम 1क को सिविल प्रक्रिया संहिता (संशोधन) अधिनियम, 1999 (1999 का 46)[12] द्वारा और उपनियम 3 सिविल प्रक्रिया संहिता (संशोधन) विधेयक, 2002 (2002 का 22) द्वारा अंत:स्थापित किया गया।[13] उपनियम 2, 3 और 4 जो सिविल प्रक्रिया संहिता (संशोधन) अधिनियम 2002 (2002 का 22) द्वारा नियम 1क में सम्मिलित किए गए थे, मूलत: सिविल प्रक्रिया संहिता (संशोधन) अधिनियम, 1976 (1976 का 104)[14] द्वारा नियम 1क में अंत:स्थापित किए गए।

---

[11] नियम 1क(4), आदेश VIII, सिविल प्रक्रिया संहिता, 1908.

[12] धारा 18, सिविल प्रक्रिया संहिता (संशोधन) आदेश 1999 (1999 का 46) https;//chdslsa.gov.in/right_menu/rules-regulationslsa/pdf_files/coc-1999.pdf पर उपलब्ध है (10 फरवरी, 2023 को अंतिम बार देखा) ।

[13] सिविल प्रक्रिया संहिता (संशोधन) आदेश 1999 (1999 का 46) https;//districts.ecourts.gov.in/sites/default/files/THE%20CODE%20OF%20CIVIL%20PROCEDURE%20%28AMENDMENT%29%20ACT%2C%202002.pdf पर उपलब्ध है (9 फरवरी, 2023 को अंतिम बार देखा) ।

[14] पूर्वोक्त टिप्पण 5, पृष्ठ 1063-64 पर ।

3.10 1976 में यथा संशोधित आदेश VIII के नियम 1 के उपनियम (6) को सिविल प्रक्रिया संहिता (संशोधन) अधिनियम, 2002 (2002 का 22) द्वारा आदेश VIII के नियम 1क के उपनियम (4) में सम्मिलित किया गया । उपनियम को नीचे दोहराया जाता है :

"(6) उपनियम (5) की कोई बात वादी के साक्षियों की प्रतिपरीक्षा उपलब्ध कराए गए या वादपत्र के फाइल करने के पश्चात् वादी द्वारा उपस्थापित किसी मामले के उत्तर में या किसी साक्षी को मात्र उसकी स्मृति ताजा करने के दस्तावेजों को लागू नहीं होगी ।[15]"

आदेश XIII का नियम 1(3)(क)

3.11 आदेश 13 के नियम 1 के उपनियम (1) में यह उपबंध है कि पक्षकार या उनके प्लीडर मूल सभी दस्तावेजी साक्ष्य जहां उनकी प्रतियां वादपत्र या लिखित कथन के साथ फाइल की गई हैं विवाद्यकों के स्थिरीकरण के समय या उसके पूर्व पेश करेगा।

आदेश XIII के नियम 1 का उपनियम (3) इस प्रकार है :-

"(3) उपनियम (1) की कोई भी बात ऐसे दस्तावेज का लागू नहीं होगी, जो -

(क) दूसरे पक्षकारों के साक्षियों की प्रतिपरीक्षा करने के लिए पेश किए गए हों, या

(ख) किसी साक्षी को केवल उसकी स्मृति ताजा करने के लिए दिए गए हैं ।[16]"

3.12 आदेश XIII के नियम 1 सिविल प्रक्रिया संहिता (संशोधन) अधिनियम, 1999 (1999 का 46) द्वारा प्रतिस्थापित किया गया। 'दस्तावेजों के पेश न किए जाने का प्रभाव' शीर्षक आदेश XIII के नियम 2 को सिविल प्रक्रिया संहिता (संशोधन) अधिनियम, 1999 (1999 का 46) द्वारा निरसित किया गया। तथापि, नियम 2 के उपनियम (2) को संशोधन द्वारा नियम 1 के उपनियम (3) के रूप में सम्मिलित किया गया।[17]

भारतीय साक्ष्य अधिनियम 1872 का धारा 145

3.13 भारतीय साक्ष्य अधिनियम की धारा 145 'पूर्वतन लेखबद्ध कथनों के बारे में प्रतिपरीक्षा' के बारे में है। धारा किसी साक्षी को ऐसा लेख दिखाए बिना उसके द्वारा किए गए पूर्व कथनों के बारे में प्रतिपरीक्षा का उपबंध करती है। इसके अतिरिक्त, यदि साक्षी द्वारा खंडन किया जाए तो उसका ध्यान कथनों के उन भागों की ओर आकृष्ट किया जाए जिसका उपयोग उसके खंडन के लिए किया गया है

[15] वही, पृष्ठ 1064 पर

[16] नियम 1(3)(क), आदेश XIII, सिविल प्रक्रिया संहिता, 1908.

[17] धारा 23 सिविल प्रक्रिया (संशोधन) संहिता, 1999 (1999 का 46) https;//chdslsa.gov.in/right_menu/rules-regulationslsa/pdf_files/coc-1999. पर उपलब्ध है (10 फरवरी, 2023 को अंतिम बार देखा) ।

3.14 यह इस प्रकार है :-

> *"145. **पूर्वतन लेखबद्ध कथनों के बारे में प्रतिपरीक्षा -** किसी साक्षी की उन पूर्वतन कथनों के बारे में, जो उसने लिखित रूप में किए हैं या जो लेखद्ध किए गए हैं और जो प्रश्नगत बातों में सुसंगत हैं, ऐसा लेख उसे दिखाए बिना, या ऐसे लेख साबित हुए बिना, प्रतिपरीक्षा की जा सकेगी, किंतु यदि उस लेख द्वारा उसका खंडन करने का आशय है तो उस लेख को साबित किए जा सकने के पूर्व उसका ध्यान उस लेख के उन भागों की ओर आकर्षित करना होगा जिनका उपयोग उसका खंडन करने के प्रयोजन से किया जाना है ।[18]"*

भारतीय साक्ष्य अधिनियम, 1872 की धारा 154

3.15 भारतीय साक्ष्य अधिनियम की धारा 154(1) में यह उपबंध है कि न्यायालय उस व्यक्ति को, जो साक्षी को बुलाता है उस साक्षी से कोई ऐसे प्रश्न करने की अपने विवेकानुसार अनुज्ञा दे सकेगा, जो प्रतिपक्षी द्वारा प्रतिपरीक्षा में किए जा सकते हैं ।[19]

भारतीय साक्ष्य अधिनियम की धारा 154 इस प्रकार है :

> *"154. **पक्षकार द्वारा अपने ही साक्षी से प्रश्न -** (1) न्यायालय उस व्यक्ति को, जो साक्षी को बुलाता है उस साक्षी से कोई ऐसे प्रश्न करने की अपने विवेकानुसार अनुज्ञा दे सकेगा, जो प्रतिपक्षी द्वारा प्रतिपरीक्षा में किए जा सकते हैं।*
>
> *(2) इस धारा की कोई बात, उपधारा (1) के अधीन उस प्रकार अनुज्ञात किए गए व्यक्ति को ऐसी साक्षी के किसी भाग का अवलंब लेने के हक से वंचित नहीं करेगी।"*

3.16 प्रसामान्यत:, किसी साक्षी को बुलाने वाला पक्षकार उसकी प्रतिपरीक्षा करने का हकदार नहीं होगा। केवल अन्य पक्षकार ही उसकी प्रतिपरीक्षा का हकदार होगा। धारा 154 इस साधारण सिद्धांत का अपवाद है।

4. 1999 और 2002 के संशोधन अधिनियमों पर उच्चतम न्यायालय विनिश्चय

4.1 1999 का संशोधन अधिनियम 46 और 2002 का संशोधन अधिनियम 22 1 जुलाई, 2002 को प्रवृत्त हुआ । सलेम एडवोकेट बार एशोसिएशन ने 1999 के संशोधन अधिनियम 46 और 2002 के संशोधन अधिनियम 22 द्वारा सिविल प्रक्रिया संहिता में किए गए संशोधनों की चुनौती देते हुए उच्चतम न्यायालय के समक्ष रिट याचिकाएं फाइल की।

---

[18] भारतीय साक्ष्य अधिनियम, 1872 .

[19] -वही -

4.2 **सलेम एडवोकेट बार एशोसिएशन** बनाम **भारत संघ**[20] वाले मामले में उच्चतम न्यायालय द्‌वारा संशोधनों की संवैधानिक विधिमान्यता को कायम रखा गया।

उच्चतम न्यायालय ने विद्‌वान काउंसेल और न्यायमित्र श्री सी. एस. वैद्‌यनाथन, वरिष्ठ अधिवक्ता को सुनने के पश्चात एक समिति गठित करना ठीक समझा। इस प्रकार अभिनिर्धारित किया गया:

> *"11. हमारी राय में, इस प्रकार दिए गए सुझाव समुचित विचार योग्य है । ऐसी समिति के गठन से, ऐसी किसी सिकुड़न, जिसे ठीक किया जाना अपेक्षित है, की पहचान की जा सकती है और ऐसी आशंका, जो वादकारी, जनता या अधिवक्ताओं के मस्तिष्क में विद्‌यमान है, को दूर किया जा सकता है । दिए गए सुझाव के अनुसार, समिति भारत के न्यायमूर्ति द्‌वारा नामित पीठासीन या सेवानिवृत्त न्यायाधीश से मिलकर बनेगी और अन्य सदस्य श्री कपिल सिब्बल, वरिष्ठ अधिवक्ता, श्री अरुण जेटली, वरिष्ठ अधिवक्ता, श्री सी. एस. वैद्‌यनाथन, वरिष्ठ अधिवक्ता और श्री डी. वी. सुब्बाराव, अध्यक्ष भारतीय विधिज्ञ परिषद् होंगे । यह समिति किसी अन्य सदस्य को सहयोजित करने और बार या एशोसिएशन के किसी सदस्य की सहायता लेने के लिए स्वतंत्र होगी .... ।"*

इसके अनुसरण में, न्यायमूर्ति एम. जगन्नाथ राव, उच्चतम न्यायालय के भूतपूर्व न्यायाधीश और भारत के विधि आयोग के भूतपूर्व अध्यक्ष की अध्यक्षता में समिति गठित की गई ।

4.3 समिति द्‌वारा अपनी रिपोर्ट पेश किए जाने के पश्चात्, उच्चतम न्यायालय ने **सलेम एडवोकेट बार एशोसिएशन, तमिलनाडु** बनाम **भारत संघ**[21] वाले मामले का निपटान किया । समिति द्‌वारा प्रस्तुत रिपोर्ट सं. 1 पर विचार करने के पश्चात्, उच्चतम न्यायालय ने 1999 और 2002 संशोधनों द्‌वारा सिविल प्रक्रिया संहिता में किए गए विभिन्न संशोधनों पर विचार किया । आदेश VII के नियम 14(4) पर विचार करते हुए, उच्चतम न्यायालय ने यह अभिनिर्धारित किया :-

> *"34. आदेश VII, नियम 14 ऐसे दस्तावेजों की प्रस्तुति के बारे में है, जिनके आधार पर वाद लाता है या दावे के समर्थन में वादी अपने कब्जे या शक्ति में की दसतावेज पर निर्भर करता है। ये दस्तावेज वादपत्र के साथ न्यायालय में पेश और दस्तावेजों की सूची में प्रविष्ट किए जाने हैं। आदेश VII नियम 14(3) बाद में दस्तावेजों की प्रस्तुति अभिप्राप्त करने के लिए न्यायालय की इजाजत की अपेक्षा करता है। आदेश VII नियम 14(4) इस प्रकार है:-*
>
> > *'इस नियम की कोई बात ऐसी दस्तावेजों को लागू नहीं होगी, जो वादी के साक्षियों की प्रतिपरीक्षा के लिए पेश किए गए हों या किसी साक्षी को केवल उसकी स्मृति को ताजा करने के लिए दिए गए हों।'*

[20] (2003) 1 एस. सी. सी. : ए. आई. आर. 2003 एस. सी. 189.

[21] (2005) 6 एस. सी. सी. 344 : ए. आई. आर. 2005 एस. सी. 3353.

35. पूर्वोक्त नियम में, यह स्पष्ट है कि ऐसा लगता है कि 'वादी के साक्षियों' शब्द का उल्लेख भूल के कारण विधायिका द्वारा किया गया है। 'प्रतिवादी के साक्षियों' शब्द होना चाहिए था। आदेश VIII नियम 14(4) में ऐसा ही उपबंध है, जो प्रतिवादी को लागू होता है। यह इस प्रकार है :-

'इस नियम की कोई बात ऐसे दस्तावेजों को लागू नहीं होगी -

(क) वादी के साक्षियों की प्रतिपरीक्षा के लिए पेश किए जाएं ; या
(ख) साक्षी को केवल अपनी स्मृति ताजा करने के लिए सौंपे जाएं।'

36. आदेश VII वादी द्वारा दस्तावेजों की प्रस्तुति के संबंध में है, जबकि आदेश VIII प्रतिवादी द्वारा दस्तावेजों की प्रस्तुति के संबंध में है। आदेश VIII नियम 14(4) के अधीन प्रतिवादी द्वारा पेश न किए गए दस्तावेज को प्रतिपरीक्षा के दौरान वादी के साक्षी के समक्ष लाया जा सकता है। इसी प्रकार, वादी प्रतिपरीक्षा के दौरान दस्तावेज को प्रतिवादी के साक्षी के समक्ष भी 'प्रतिवादी के साक्षियों' शब्द के बजाए 'वादी के साक्षियों' शब्द का उल्लेख किया गया है। भ्रम को दूर करने के लिए हम निदेश देते हैं कि जब तक विधायिका भूल को नहीं सुधारती तब तक आदेश VII नियम 14(4) में 'वादी के साक्षियों' शब्दों के स्थान पर 'प्रतिवादी के साक्षियों' शब्द पढ़ा जाए। तथापि, हम यह आशा करते हैं कि यथाशीघ्र विधायिका द्वारा भूल का सुधार किया जाए।"

5. निष्कर्ष

5.1 आदेश VII के नियम 14 के उप नियम (4) में, **वादी के साक्षियों** की प्रतिपरीक्षा को उल्लेख किया जाए। साक्ष्य अधिनियम की धारा 154 के उपबंध के सिवाए वादी ऐसे प्रश्न नहीं रख सकता है, जो अपने साक्षियों की प्रतिपरीक्षा में रखे जा सकते हों । आदेश XIII का नियम 1 का उपनियम (3) भी स्थिति स्पष्ट करता है जब '**दूसरे पक्षकार की साक्षियों की प्रतिपरीक्षा**' पद उसमें व्यक्त है। अत:, आदेश VII के नियम 14 के उपनियम (4) में विसंगति स्पष्ट है । आदेश VII के नियम 14 के उपनियम (4) में आने वाले 'वादी के साक्षियों' शब्द को 'प्रतिवादी के साक्षियों' के रूप में सुधार किए जाने की अपेक्षा है।

5.2 उच्चतम न्यायालय ने **सलेम एडवोकेट बार एशोसिएशन** बनाम **भारत संघ**[22] वाले मामले में 1999 और 2002 संशोधन अधिनियमों द्वारा सिविल प्रक्रिया संहिता में किए गए विभिन्न संशोधनों पर विचार किया। आदेश VII के नियम 14(4) पर विचार करते हुए, उच्चतम न्यायालय ने इस विसंगति पर ध्यान दिया और यह अभिनिर्धारित किया कि जब तक विधायिका इसका सुधार नहीं करती तब तक 'वादी के साक्षियों' शब्दों को 'प्रतिवादी के साक्षियों' के रूप में पढ़ा जाए। तथापि, माननीय

[22] [22] (2005) 6 एस. सी. सी. 344 : ए. आई. आर. 2005 एस. सी. 3353

उच्चतम न्यायालय द्वारा वर्ष 2005 में इसके इंगित किए जाने के बाद भी संसद ने विसंगति को दूर करने के लिए आदेश VII के नियम 14(4) में अब तक कोई सुधार नहीं किया।

6. अनुशंसा

6.1 आयोग का विचारित मत है कि आदेश VII के नियम 14 के उपनियम (4) को 'वादी के साक्षियों' शब्दों के स्थान पर 'प्रतिवादी के साक्षियों' शब्द रखकर संशोधित किए जाने की अपेक्षा है।

तदनुसार आयोग सिफारिश करता है।

---XXX---

ह0/-

[न्यायमूर्ति ऋतु राज अवस्थी]

अध्यक्ष

ह0/-	ह0/-	ह0/-
[न्यायमूर्ति के. टी. शंकरन]	[प्रो.(डा.) आनन्द पालीवाल]	[प्रो. डी. पी. वर्मा]
सदस्य	सदस्य	सदस्य

ह0/-	ह0/-
[डा. नितेन चंद्रा]	[डा. रीटा वशिष्ठ]
सदस्य सचिव और सदस्य पदेन	सदस्य पदेन
ह0/-	ह0/-
[प्रो. (डा.) राका आर्या]	[श्री एम. करुनानिधि]
सदस्य (अंशकालिक)	सदस्य (अंशकालिक)